भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 165
20.07.2026 को उत्तर के लिए

छत्तीसगढ़ में पराली जलाने पर रोक लगाने के उपाय

165. श्रीमती रूपकुमारी चौधरीः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य, विशेष रूप से महासमुंद जैसे किसान-बहुल जिलों में फसल अवशेष (पराली) जलाने की घटनाओं और परिवेशी वायु गुणवत्ता पर इसके प्रभाव का संज्ञान लिया है;

(ख) क्या राज्य में फसल अवशेष जलाने की रोकथाम करने और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) या किसी अन्य योजना के अंतर्गत कोई उपाय किए गए हैं;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य को प्रदान की गई वित्तीय सहायता, जागरूकता कार्यक्रमों, फसल अवशेषों के स्व-स्थान और बाह्य-स्थान प्रबंधन के लिए प्रोत्साहनों तथा प्रवर्तन उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का छत्तीसगढ़ में, विशेष रूप से प्रभावित जिलों में फसल अवशेष जलाने पर रोक लगाने और वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कोई अतिरिक्त हस्तक्षेप शुरू करने या आगे सहायता प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ): छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा राज्य स्वच्छ वायु कार्य योजना (एसएपी) तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के दिशानिर्देशों के अनुसार वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता वाली गतिविधियों की पहचान करना और उन्हें लागू करना है।

एसएपी में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए राज्य-विशिष्ट योजनाएं, नीतियां और लक्षित उपाय शामिल हैं, जिनमें वाहन उत्सर्जन, निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्ट, सड़क धूल,

बायोमास जलाने और औद्योगिक उत्सर्जन के नियंत्रण के लिए क्षेत्रवार हस्तक्षेप शामिल हैं। छत्तीसगढ़ की राज्य कार्य योजना में 'कृषि अवशेषों को जलाने से होने वाले उत्सर्जन' से संबंधित हस्तक्षेप शामिल हैं, जिन्हें राज्य स्तर पर लागू की जाती है और निगरानी की जाती है।

राज्य स्तरीय समितियाँ, जैसे कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित संचालन समिति और प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित वायु गुणवत्ता निगरानी समिति, पर्यावरण विभाग द्वारा वायु गुणवत्ता सुधार हेतु राज्य कार्य योजना के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा और निगरानी की जाती है।

छत्तीसगढ़ राज्य के तीन चिन्हित नॉन-अटेनमेंट शहरों (रायपुर, दुर्ग-भिलाई और कोरबा) को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत शामिल किया गया है ताकि संबंधित शहरी स्थानीय निकायों में शहर कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से वायु गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

छत्तीसगढ़ के तीनों गैर-प्रदूषण वाले शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एनसीएपी के तहत शहर-विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं और उन्हें लागू किया गया है। ये शहर-विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं शहर-विशिष्ट वायु प्रदूषण के स्रोतों जैसे मिट्टी और सड़क की धूल, वाहन, घरेलू ईंधन, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट और बायोमास का खुला दहन, निर्माण सामग्री और उद्योगों को लक्षित करती हैं।

जिला स्तरीय निगरानी एवं कार्यान्वयन समिति (डीएलएमआईसी), जिसका गठन जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त की अध्यक्षता में किया जाता है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत वायु गुणवत्ता सुधार के लिए शहर की कार्य योजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन करती है।
